

20⁵/₂₅ पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवाजे लगाई जाने के बावजूद प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली